

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(3)न्याय / 2016

जयपुर, दिनांक 4 MAY 2017

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से अपर जिला न्यायाधीश, पोकरण जिला जैसलमेर का न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान पोकरण नियत करती है।


नोट:-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के तहत अपर सैशन न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
- जिला कलेक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/युलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
- शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
- महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
- प्रोग्रामर, विधि विभाग।
- रक्षित पत्रावली।


06.05.27

(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव